इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 353]   भोपाल, सोमवार, दिनांक 5 अगस्त 2013—श्रावण 14, शक 1935

मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण,
विन्ध्याचल भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2013

फा. क्र. दो-12-11-मा. अधि.-2003.—मध्यप्रदेश माध्यस्थम् अधिकरण अधिनियम, 1983 (क्रमांक 29 सन् 1983) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, माध्यस्थम् अधिकरण, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश माध्यस्थम् अधिकरण विनियम, 1985 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त विनियमों में,—

1. विनियम 3 में, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

''अधिकरण की भाषा अंग्रेजी होगी तथा हिन्दी भी हो सकेगी:

परन्तु अधिकरण के समक्ष की कार्यवाहियों के पक्षकारों को, यदि ऐसी वांछा की जाती है, हिन्दी में तैयार किए गए दस्तावेज प्रस्तुत करने/फाईल करने का अधिकार होगा.''.

2. विनियम 10 के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम जोड़े जाएं, अर्थात्:—

''10 क. लिखित उत्तर और प्रत्युत्तर, यदि कोई हो, प्रस्तुत कर दिए जाने के पश्चात्, पक्षकार सुनवाई की अगली तारीख को विरोधी पक्षकार द्वारा अभिलेख पर रखे गए दस्तावेजों की स्वीकृति/प्रत्याख्यान करेंगे, तथापि, प्रत्याख्यान, शपथपत्र पर किया जाएगा.

''10 ख. यथास्थिति राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक उपक्रम, उत्तर फाईल करने के एक मास के भीतर प्ररूप क, ख, खक, खख, खग में, जो भी लागू हो, विशिष्टियां प्रस्तुत करेगा:''

परन्तु याचिकाकर्ता इस प्रकार प्रस्तुत की गई विशिष्टियों के आधार पर तथा उनके आलोक में कोई आधार लेने और अनुतोष मांगने का हकदार नहीं होगा. वह केवल विशिष्ट तथ्यों एवं आंकड़ों के साथ पूर्व से उठाये गये आधारों की पुष्टि में समर्थन प्राप्त कर सकेगा''.

3. विनियम 24 में, एक पृथक् पैराग्राफ के रूप में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

''रुपए 25 लाख से अधिक के मूल्य वाले मामलों की सुनवाई, तीन सदस्यीय बैंच द्वारा की जाएगी. इसलिए याचिकाकर्ता से निर्देश याचिका की प्रतियां, याचिकाकर्ता के दस्तावेज तथा शपथपत्र, साक्ष्य पेपरबुक के रूप में तीन प्रतियों में अपेक्षित है, इसी प्रकार विरोधी पक्षकार से लिखित उत्तर, प्रत्यर्थी के दस्तावेज तथा शपथपत्र साक्ष्य पेपरबुक के रूप में, तीन प्रतियों में अंतिम सुनवाई की तारीख से कम से कम तीन सप्ताह पूर्व प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है. प्रत्येक पक्षकार द्वारा अपनी पेपरबुक की प्रति विरोधी पक्षकार को दिया जाना भी अपेक्षित है.''.

4. विनियम 34 के स्थान पर, निम्नलिखित विनियम 34 स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''34 सार्वजनिक अवकाश तथा विश्राम अवकाश.—(1) अधिकरण के अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी तथा कर्मचारीवृन्द, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा यथाविहित समस्त सार्वजनिक और सामान्य अवकाश लेंगे तथापि, अधिकरण और उसके कार्यालय के लिए, उच्च न्यायालय द्वारा, उच्च न्यायालय तथा उसकी रजिस्ट्री के लिए यथा अधिसूचित केवल दो शनिवारों का अवकाश रहेगा. इसके अतिरिक्त, अधिकरण में ऐसे समस्त स्थानीय अवकाश या कोई अन्य अवकाश होंगे जो सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर घोषित किए जाएं.

(2) (क) अध्यक्ष, नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय अर्जित अवकाश के अतिरिक्त उच्च न्यायालय द्वारा एक कलैंडर वर्ष में, उसकी विश्रामावकाश अवधि के रूप में अधिसूचित विश्रामावकाश अवधि के दौरान 15 दिन के ग्रीष्मवकाश तथा एक सप्ताह के शीतकालीन अवकाश का हकदार होगा. अध्यक्ष सरकार को उस अवधि की सूचना देगा जिसके कि दौरान वह विश्रामावकाश का लाभ लेगा.

(ख) उच्च न्यायालय द्वारा अवकाश तथा विश्रामावकाश की सूची समाविष्ट करते हुए कलैंडर प्रकाशित कर दिए जाने के पश्चात्, अधिकरण भी अपने विश्रामावकाश की अवधि राजपत्र में अधिसूचित करेगा.''.

5. विनियम 36 के स्थान पर, निम्नलिखित विनियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''36 अधिकरण के अध्यक्ष, जब बोर्ड पर सुनवाई कर रहे हों, काले कोट, बैण्ड और गाऊन के साथ सफेद पोशाक पहनेंगे. न्यायिक सदस्य काले कोट और बैण्ड के साथ सफेद पोशाक पहनेंगे. तकनीकी सदस्य कोट और टाई के साथ सादा पोशाक पहनेंगे.''.

6. परिशिष्ट-1 के पश्चात, प्ररूप ग से पूर्व निम्नलिखित प्ररूप अंत:स्थापित किए जाएं, अर्थात्:—

प्ररूप-क

(विनियम 10-ख देखिए)

सड़क कार्य की मात्रा के ब्यौरे

डी.पी.आर. के अनुसार सड़क का नाम ग्राम .... से .... ग्राम तक

1. कार्य आदेश संख्या तथा तारीख. . . . .

2. डी.पी.आर. में दर्शाए गए अनुसार सड़क की लम्बाई . . . . कि. मी. तथा स्थल पर वास्तविक रूप से निर्मित सड़क . . . . .कि.मी.

3. डी.पी.आर. के अनुसार संरचनाओं की संख्या. . . . स्थल पर वास्तविक रूप से निर्मित संरचनाओं की संख्या . .

4. सड़क निर्माण में अन्तर्ग्रस्त निजी/वन भूमि, यदि कोई हो, हेक्टेयर में तथा निजी/वन भूमि में कार्य अग्रसर होने की अर्जन/अनुमति की तारीख, ब्यौरा दें. . . . .

5. ऐसे कार्य के रोके जाने के संबंध में कोई आदेश/ अवरोध जो ग्रामवासियों द्वारा/सक्षम प्राधिकारी/न्यायालय के आदेश से उत्पन्न हुआ हो, ब्यौरे दें. . . . .

6. परामर्शी अभिकरण की नियुक्ति की तारीख. . . . . .

7. कार्य समाप्त हो जाने पर, स्थल पर रखी सामग्री, संयंत्र, उपकरण की विशिष्टियां एवं लागत यदि अधिकृत किया गया हो, तथा अधूरे कार्य हेतु सुसंगत खण्ड के अन्तर्गत कार्यपालन यंत्री द्वारा समर्थित प्रमाण-पत्र जारी करने की तारीख. . . . .

8. स्वीकार्य सीमा से अधिक के प्रकरण में, नियोजक द्वारा अनुमोदित किए गए फेरफार की तारीख. . . . . . . यथा अनुमोदित मदों में फेरफार के लिए दरें, ब्यौरा दें. . . . . .

9. परिनिर्धारित नुकसानी के अधिरोपण के आदेश की विशिष्टियां. . . . .

10. तृतीय एजेन्सी द्वारा शेष कार्य पूर्ण किए जाने के प्रकरण में, ठेकेदार से वसूली योग्य पर्यवेक्षण प्रभार की विशिष्टियां. . . . .

11. संरचनाओं के अनुमोदन की तारीख संरचनावार तथा सड़कवार ब्यौरा दें . . . .

12. खदानों में परिवर्तन, यदि कोई हो, विभिन्न खदानों के लिए, ब्यौरे दें,. . . . .

13 ठेकेदार को डी.पी.आर. सौंपने की तारीख डी.पी.आर. में दिए गए संरेखण तथा वास्तव से निर्माण किए गए अनुसार कोई फेरफार हो, सड़कवार ब्यौरा दें. . . . .

14. विभिन्न संरचनाओं/संरचनाओं की डिजाइन में परिवर्तन के आधार ड्राइंग सौंपने में हुए विलंब, सड़कवार ब्यौरा में तथा डिजाइन परिवर्तन में हुए विलंब, यदि कोई हो, विलंब का ब्यौरा दिवस संख्या में दें, ...

15. **सड़क कार्य से जुड़े कार्य की मदों का संक्षिप्त विवरण.—**

कार्य की मदें	भौतिक मात्रा		वित्तीय राशि (लाख रु. में)	
	डी.पी.आर. के अनुसार	वास्तव में किए गए कार्य अनुसार	डी.पी.आर. के अनुसार	अंतिम रूप से निर्माण किए गए अनुसार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
फ्लेग्जिबल पेवमेंट				
भूमि कार्य				
डिसइण्टिग्रेटेड चट्टान				
कड़ी चट्टान-खुदाई				
साइड ड्रेन्स का निर्माण मी. में				
हार्ड सोल्डर का निर्माण घन मी. में				
जीएसबी				
जी-II				
जी-III				
बी.टी.				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रिजिड पेवमेंट				
भूमि कार्य घन मी. में.				
जीएसबी घन मी. में				
कन्क्रीट घन मी. में				
साइड ड्रेन रनिंग मी. में				
हार्ड सोल्डर्स घन मी. में.				
अन्य कोई मदें				

प्ररूप-ख

(विनियम 10-ख देखिए)

भवन कार्य की मात्रा के ब्यौरे

1. डी.पी.आर./तकनीकी स्वीकृति के अनुसार भवन निर्माण कार्य का नाम . . . .

2. ड्राइंग में दर्शाए अनुसार निर्मित होने वाले भवन का कुल क्षेत्रफल. . . . . . वर्ग मी. तथा स्थल पर वास्तविक रूप से निर्मित . . . . वर्ग मी.

3. कार्य आदेश संख्या तथा तारीख . . . .

4. भवन निर्माण में अंतर्ग्रस्त निजी भूमि, यदि कोई हो, हेक्टर में . . . .

5. उक्त कार्य को रोके जाने के संबंध में कोई आदेश. अवरोध का आधार जो कार्य के निष्पादन के दौरान, सक्षम प्राधिकारी/न्यायालय के आदेश से उत्पन्न हुआ हो, ब्यौरा दें. . . . .

6. परामर्शी अभिकरण की नियुक्ति की तारीख यदि कोई हो, ...

7. याचिकाकर्ता को अनुमोदित ड्राइंग के साथ डी.पी.आर. जारी करने की तारीख . . . . .

8. विभिन्न घटकों के ड्राइंग एवं डिजाइन के अनुमोदन में हुए विलंब, यदि कोई हो, विलंब का ब्यौरा, दिवस संख्या में दें, . .

9. **निर्मित होने वाले भवन से जुड़े कार्य की मदों का संक्षिप्त विवरण**

कार्य की मदें	भौतिक मात्रा		वित्तीय राशि (लाख रु. में)	
	डी.पी.आर. के अनुसार	वास्तव में किए गए कार्य अनुसार	डी.पी.आर. के अनुसार	अंतिम रूप से निर्माण किए गए अनुसार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
उत्खनन				
कड़ी चट्टान				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
नरम चट्टान				
मिट्टी/मुरम				
कन्क्रीट				
पीसीसी				
आरसीसी				
स्टील मी.टन में				
आरसीसी के लिए				
दरवाजे/खिड़कियों के लिए				
ईंट चिनाई				
आन्तरिक पलस्तर का कार्य				
बाह्य पलस्तर का कार्य				
रूफिंग शीट्स/फाल्स सीलिंग				
विट्रीफाईड फ्लोरिंग एवं डैडो				
एसएस. रेलिंग				
आंतरिक विद्युतीकरण				
बाह्य विद्युतीकरण				
आंतरिक जल आपूर्ति कार्य				
बाह्य जल आपूर्ति कार्य				
डब्ल्यूबीएम सड़कों के क्षेत्र का विकास				
कार्य की अन्य कोई मदें.				

प्ररूप-ख क

(विनियम 10-ख देखिए)

बांध कार्य की मात्रा के ब्यौरे

1. डी.पी.आर.टी./तकनीकी स्वीकृति अनुसार बांध का नाम . . . .

   1. कार्य आदेश की तारीख तथा क्रमांक . . . . . .

   2. ड्राइंग में दर्शाए गए अनुसार बांध की कुल लम्बाई . . . . मी. तथा स्थल पर वास्तविक रूप से निर्मित . . . मी. (कान्क्रीट तथा अथडैम, पृथक्-पृथक् विवरण दें.)

   3. बांध/नहर के अन्तर्ग्रहण संरचना निर्माण में अन्तर्ग्रस्त निजी भूमि, यदि कोई हो, हैक्ट. में . . . ./कार्यादेश की तारीख को वास्तविक रूप से अर्जित की गई तथा पश्चात्वर्ती अर्जित की गई भूमि, ब्यौरा दें. . . . . .

4. बांध निर्माण में अन्तर्ग्रस्त वन भूमि, यदि कोई हो, हेक्ट. में . . . . . वन क्षेत्र में कार्य हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदान की गई अनुमति की तारीख. . . . . .

5. उक्त कार्य को रोके जाने संबंधी कोई आदेश. अवरोध जो ग्रामवासियों/सक्षम प्राधिकारी/न्यायालय आदेश से उत्पन्न हुआ हो, ब्यौरा दें.. . . .

6. पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापना के मुद्दों के आधार कार्य में अवरोध . . . .

7. मिट्टी/चट्टान का मलवा/निर्माण सामग्री आदि रखने के लिये भूमिं की आवश्यकता, हेक्टर में. . . . . . तथा वास्तविक रूप से उपलब्ध कराई गई भूमि का क्षेत्रफल तारीख उल्लेखित करें. . . . . .

8. वन भूमि के हस्तान्तरण/पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दी गई पर्यावरणीय स्वीकृति की तारीख तथा विलंब यदि कोई हो, दिवस संख्या में. . . . . .

9. परामर्शी अभिकरण की नियुक्ति की तारीख, यदि कोई हो . . . . . .

10. जी.एस.आई./मुख्य अभियंता द्वारा फाउण्डेशन अनुमोदित किए जाने की तारीख तथा अनुमोदन में हुए विलंब, यदि कोई हो, ब्यौरा दें. . . . . .

11. मूल अनुबंध के अनुसार तथा वास्तविक रूप से किये गये कार्य अनुसार खदानों में परिवर्तन, यदि कोई हो, ब्यौरा दें,. . . . .

12. कर्मी/मशीनें बेकार पड़े रहने/उपयोग न होने का आधार तथा बेकार हुआ समय, जैसे कि भू-अर्जन, फाउण्डेशन अनुमोदन, न्यायालय आदेश, अन्य किसी आधार से, ब्यौरा दें, ...

13. **निर्मित होने वाले बांध से जुड़े कार्य की मदों का संक्षिप्त विवरण—**

कार्य की मदें	भौतिक मात्रा		वित्तीय राशि (लाख रु. में)	
	डी.पी.आर. के अनुसार	वास्तव में किए गए कार्य अनुसार	डी.पी.आर. के अनुसार	अंतिम रूप से निर्माण किए गए अनुसार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
उत्खनन				
कड़ी चट्टान				
नरम चट्टान				
मिट्टी/मोरम				
अर्थ डैम हेतु तटबंध कार्य				
कड़ी चट्टान				
नरम चट्टान				
मिट्टी/मोरम				
फिल्टर्स				
क्षैतिज तथा समपथ				
रॉक-टो का निर्माण				
कट-ऑफ-ट्रेन्च का निर्माण				
स्टोन पिचिंग				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
कान्क्रीट				
पीसीसी				
आरसीसी				
सीसी लाइनिंग				
स्टील मी.टन में				
दरवाजों के लिये-मी. टन में				
बोगदा (टनल)				
बोगदा की लंबाई				
भूमिगत खुदाई				
बोगदा का अस्तर				
ड्रिलिंग एण्ड ग्राउटिंग				
रबल अथवा स्टोन बेडिंग				
बांध, बांध के नींव की चिनाई द्वारा ड्रिलिंग एण्ड ग्राउटिंग				
अन्य कोई मदें				

प्ररूप-ख ख

(विनियम 10-ख देखिए)

नहर कार्य की मात्रा के ब्यौरे :

डी.पी.आर./तकनीकी स्वीकृति अनुसार नहर का नाम .... कि.मी. से .... कि.मी. तक

1. कार्य आदेश की तारीख ......
2. डी.पी.आर./प्राक्कलन/निविदा में दर्शाए अनुसार नहर प्रणाली की कुल लंबाई. . . . . . किलोमीटर तथा स्थल पर वास्तविक रूप से निर्मित किए गए अनुसार. . . . . .किलोमीटर.
3. नहर निर्माण में अन्तर्ग्रस्त निजी भूमि, यदि कोई हो, ... हेक्ट. में
4. नहर निर्माण में अन्तर्ग्रस्त वन भूमि, यदि कोई हो, ... हेक्ट. में
5. उक्त कार्य को रोके जाने संबंधी कोई आदेश. अवरोध के आधार जो ग्रामवासियों/प्राधिकारी/न्यायालय आदेश से उत्पन्न हुआ हो . . . .
6. निर्माण कार्य के दौरान, नहर के संरेखण में परिवर्तन . . . . कि.मी. से. . . . . कि.मी. तक, स्थान . . . . से स्थान. . . . . तक.
7. मिट्टी/चट्टान का मलवा/निर्माण सामग्री आदि रखने हेतु भूमि की आवश्यकता,.. . . . . हेक्ट. में.
8. वन/पर्यावरणीय स्वीकृति की तारीख . . . .

9. परामर्शी अभिकरण की नियुक्ति की तारीख, यदि कोई हो,. . . . . कार्य आदेश संख्या तथा तारीख . . . .

10. विभिन्न संरचनाओं का तारीखवार अनुमोदन जारी करना, ब्यौरा दें. . . . .

11. खदानों में परिवर्तन, यदि कोई हो, ब्यौरा दें,. . . . . . .

12. किसी अन्य आधार से कार्य पूर्ण करने में हुआ विलंब/पूर्ण करने में व्यतीत समय, ब्यौरा दें. . . . . .

13. **निर्मित होने वाली नहर से जुड़े कार्य की मदों का संक्षिप्त विवरण—**

कार्य की मदें	भौतिक मात्रा		वित्तीय राशि (लाख रु. में)	
	डी.पी.आर. के अनुसार	वास्तव में किए गए कार्य अनुसार	डी.पी.आर. के अनुसार	अंतिम रूप से निर्माण किए गए अनुसार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
उत्खनन				
कड़ी चट्टान				
नरम चट्टान				
मिट्टी/मोरम				
तटबंध कार्य				
भूमि/कार्य, मिट्टी/मोरम				
कान्क्रीट				
पीसीसी				
आरसीसी				
सीमेंट अस्तर				
स्टील				
आरसीसी के लिए				
दरवाजों के लिए				
बोगदा				
बोगदा की लंबाई				
भूमिगत खुदाई				
बोगदा का अस्तर				
संरचनायें				
व्हीआरबी				
डीआरबी				
एक्वेडक्ट्स				
सिफान				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
एचआर				
बाह्य निकासी				
कार्य की अन्य कोई मदें				

प्ररूप–ख ग

(विनियम 10–ख देखिए)

पुल/एक्वेडक्ट कार्य की मात्रा के ब्यौरे :

1. डी.पी.आर./तकनीकी स्वीकृति के अनुसार पुल/एक्वेडक्ट कार्य का नाम . . . .

1. कार्य आदेश संख्या तथा तारीख . . . . . .

2. डी.पी.आर/तकनीकी स्वीकृति अनुसार पुल/एक्वेडक्ट की कुल लंबाई. . . . . . .मी. तथा स्थल पर वास्तविक रूप से निर्मित किया गया . . . . . . .मी.

3. पुल/एक्वेडक्ट के निर्माण में अन्तर्ग्रस्त निजी भूमि, यदि कोई हो, ...हेक्ट. में

4. इस निर्माण में अन्तर्ग्रस्त वन भूमि, यदि कोई हो,. . . . . . . हेक्ट. में.

5. उक्त कार्य में अवरोध संबंधी कोई आदेश, अवरोध के आधार, जो ग्रामवासियों/प्राधिकारी/न्यायालय आदेश से उत्पन्न हुआ हो,. . . . . .

6. वन/पर्यावरणीय स्वीकृति की तारीख, यदि कोई हो,. . . . .

7. परामर्शी अभिकरण की नियुक्ति की तारीख यदि कोई हो, कार्य आदेश संख्या तथा तारीख . . . .

8. जीएसआई./मुख्य अभियंता/अधीक्षण यंत्री द्वारा फाउण्डेशन अनुमोदन की तारीख तथा अनुमोदन में हुए विलम्ब, दिवस संख्या में, यदि कोई हो. . . . . .

9. सक्षम प्राधिकारी द्वारा ड्राइंग के अनुमोदन की तारीख तथा उक्त अनुमोदन में हुए विलंब, यदि कोई हो, दिवस संख्या में. . . . .

10. किसी अन्य आधार से कार्य में विलंब . . . .

11. **निर्मित होने वाले पुल/एक्वेडक्ट से जुड़े कार्य की मदों का संक्षिप्त विवरण—**

कार्य की मदें	भौतिक मात्रा		वित्तीय राशि (लाख रु. में)	
	डी.पी.आर. के अनुसार	वास्तव में किए गए कार्य अनुसार	डी.पी.आर. के अनुसार	अंतिम रूप से निर्माण किए गए अनुसार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
उत्खनन				
कड़ी चट्टान				
नरम चट्टान				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
मिट्टी/मोरम				
तटबंध कार्य				
पहुंच मार्ग हेतु				
मोरम/कठोर मिट्टी				
कन्क्रीट				
पीसीसी				
आरसीसी				
स्टील				
आरसीसी के लिए				
अन्य				
स्पान्स की लंबाई				
स्पान्स की संख्या				
फाउन्डेशन के प्रकार				
पिलिंग कार्य की लंबाई				
पिलों की संख्या				
बीअरिंग				
कार्य की अन्य कोई मदें				

जस्टिस अभय म. नाईक,
अध्यक्ष,
मध्यप्रदेश माध्यस्थम् अधिकरण.

Bhopal, the 30th July 2013

F-No. 11-12-11-Arb.Trb.-2003.—In exercise of the powers conferred by Section 10 of the Madhya Pradesh Madhyastham Adhikaran Adhiniyam, 1983 (No. 29 of 1983), the Arbitration Tribunal, hereby makes the following amendments in the Madhya Pradesh Madhyastham Adhikaran Regulations, 1985, namely :—

AMENDMENTS

In the said regulations,—

1. In regulation 3, the following shall be added, namely :—

"Language of the Tribunal shall be English and may also be Hindi :

Provided that the parties to the proceedings before the Tribunal shall have a right to produce/file documents drawn up in Hindi, if it is so desired.".

2. After regulation 10, the following regulations shall be added, namely :—

"10A. After submission of the written reply and rejoinder, if any, the parties on the next date of hearing shall make admission/denial of the documents placed on record by the opposite party. However, the denial shall be made on affidavit.

10B. The State Government or the public undertaking, as the case may be, shall furnish the particulars in Forms A, B, BA, BB, BC whichever is applicable, within a month after filing of the reply :

Provided that the petitioner shall not be entitled to raise any ground and seek relief on the basis of and in the light of the particulars, so furnished. He may seek merely the support for the grounds already raised in specific with the facts and figures.".

3. In regulation 24, the following shall be added as a separate paragraph namely:—

"Cases with the valuation exceeding Rs. 25 lacs shall be heard by Three Members Bench, therefore, the petitioner is required to submit in paper book form and in triplicate, copies of reference petition, petitioner's documents and affidavit evidence; likewise, the opposite party is required to submit in paper book form and in triplicate, copies of written reply, respondents documents and affidavit evidence, at least three weeks before the date of final hearing. Each party is also required to furnish copy of its paper book to the opposite party.".

4. For regulation 34 the following regulation 34 shall be substituted, namely:—

"24. **Public holidays and vacation.**—(1) The chairman, members of the Tribunal and officers and staff of the Tribunal shall observe all such public and general holidays as are prescribed by the High Court of Madhya Pradesh, for its observance. However, there shall only be two closed Saturdays for the tribunal and its office, as have been notified by the High Court as closed Saturdays for the High Court and its registry. In addition to this, the Tribunal shall observe all such local holidays or any other holiday, declared by the Government or local authority from time to time.

(2) (a) The Chairman shall be entitled to 15 days summer vacation and one week winter vacation in one calendar year, during the vacation period as may be notified by the High Court as its vacation period, in addition to the usual earned leave admissible to him under the rules. The Chairman shall give intimation to the Government of the period during which he would avail vacation.

(b) After publication of the calendar by the High Court containing list of holidays and vacation, the Tribunal shall also notifiy its vacation period in the Gazette.".

5. For regulation 36, the following regulation shall be substituted, namely:—

"36. The Chairman of the Tribunal while sitting on board shall wear white dress with black coat, band and gown. The Judicial Member shall wear white dress with black coat and band. The Technical member shall wear sober dress with coat and tie.".

6. After Annexure-1, the following Forms shall be inserted before Form-C, namely:—

FORM-A

(See regulation 10-B)

Details of Quantum of road work :

Name of road from village . . . . to Village. . . . . . . as per D.P.R.

1. No. & Date of work order . . . .
2. Length of road as shown in DPR. . . . . KM. and that actually constructed road on site. . . . . . .KM.
3. No. of structures as per DPR. . . . . . . no. of structures as actually constructed on site. . . . . nos.
4. Private land/Forest land involved in road construction, if any, in ha. and date of acquisition/permission to proceed with work in Pvt./forest land, give details. . . . .
5. Any orders about stoppage of such work? Give details due to obstructions created by villagers/orders of authority/Court. . . . .

6. Date of appintment of consultant agency . . . .

7. Particulars and cost of material at site, plant, equipment, if confiscated, on termination of work & date of issue of completion certificate by E.E. under relevant clause for incomplete work. . . . .

8. Date of approval of variation by employer in case of excess of permissible limits-Rates for variation items as approved. Give details.. . . . . . .

9. Particulars of order of imposition of L.D. . . . .

10. Particulars of supervision charges liable to be recovered from contractor in case of completion of balance work by third agency. . . . . . .

11. Date of approval of structures, give details structure-wise & road wise. . . . . . .

12. Change in quarries, if any, give details for various quarries. . . . . .

13. Date of handing over of DPR to contractor. Any variation in alignment given in DPR and as actually constructed, give details road wise. . . . . .

14. Delay in handing over of drawing for various structures/change in design of structures. Give details road-wise and give details of delay, if any, for change in design in number of days. . . . . . .

15. **Summary of items of works involved for road work** :

Items of work	Physical Quantity		Financial (in lakh)	
	As per DPR	As Actually done	As per DPR	As finally constructed
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Flexible Pavement				
E/W				
Disintegrated rock				
Hard rock excavation				
Side Drains construction in M.				
Hard shoulders construction in CuM.				
GSB				
G II				
G III				
B.T.				
Rigid Pavement				
E/W in Cu M				
GSB in Cu M				
Concrete in Cu M				
Side Drain in RM				
Hard Shoulders in Cu M				
Any other items.				

FORM-B

(See regulation 10-B)

Details of Quantum of Building work :

1. Name of the Building work as per DPR/Technical sanction . . . .

2. Total Area to be constructed in Building as shown in Drawing. . . . . Sq M. and that actually constructed on site. . . . . Sq M.

3. Work Order No. & date . . . .

4. Private land involved in Building construction, if any, in . . . . .Ha.

5. Any orders about stoppage of such work. Give details due to obstructions during execution of work/orders of competent authority/court . . . .

6. Date of appointment of consultant agency, if any . . . .

7. Date of issue of DPR to the petitioner along with approved drawings. . . . .

8. Delay in approval of design and drawings of various components, if any, give details of delays in days.. . . . .

9. **Summary of items of works involved in Building to be constructed :**

Item of work	Physical Quantity		Financial (in lakh)	
	As per DPR	As Actually done	As per DPR	As finally constructed
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Excavation				
Hard Rock				
Soft Rock				
Soil/Morum				
Concrete				
PCC				
RCC				
Steel in M.T.				
For RCC				
For Doors/windows				
Brick Masonary				
Internal Plastering				
External Plastering				
Roofing sheets/false ceiling				
Vitrified Flooring & Dado				
SS Railing				
Internal Electrifications				
External Electrifications				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Internal Water supply work				
External water supply work				
WBM roads Area Development				
Any other item of work.				

FORM-BA
(See regulation 10-B)

Details of Quantum of Dam work :

Name of the Dam as per DPR/Technical sanction . . . .

1. No. and date of work order . . . .
2. Total Length of the Dam as shown in drawing. . . . . . mts. and that actually constructed on site. . . . . .M. (Concrete & Earthdam give details separately).
3. Private land involved in Dam/canal intake structure construction, if any, in. . . . . . . .Ha./land actually acquired on date of work order and subsequently, give details.
4. Forest land involved in Dam construction, if any in. . . . . . . .Ha. date of permission granted by competent authority for work in Forest area. . . . .
5. Any orders about stoppage of such work. Give details due to obstructions created by villagers, orders of authority/court. . . . .
6. Stoppage of work due to Rehabilition & resettlement issues. . . . .
7. Requirement of land for soil/rock dumping/construction material etc. in. . . . . .Ha. and land area actually made available mention date. . . . .
8. Date of forest land transfer/Environmental clearance by M.O.E.F. and delay in days, if any. . . . . . .
9. Date of appointment of consultant agency, if any. . . . .
10. Date of approval of Foundation by GSI/CE and delay in approval, if any, give details. . . . .
11. Change of quarries, if any, give details as per original agreement and as brought actually. . . . .
12. Reasons and time lost in idline of utilisation of men/machines due to reasons likely L.A., foundation approval, court order, any other reason, give details. . . . .
13. **Summary of items of works involved in Building to be constructed:**

Item of Work	Physical Quantity		Financial (in lakh)	
	As per DPR	As actually done	As per DPR	As finally Constructed
(1)	(2)	(2)	(4)	(5)
Excavation				
Hard Rock				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Hard Rock				
Soft Rock				
Soil/Morum				
Embankment for				
Earth Dam				
Hard Rock				
Soft Rock				
Soil/Morum				
Filters				
Horizontal & inclined				
Construction of rock-toe				
Construction of cut-off-trench				
Stone pitching				
Concrete				
PCC				
RCC				
C.C. Lining				
Steel in M. T.				
For Gates In M. T.				
Tunnel				
Length of Tunnel				
Under ground excavation				
Lining of Tunnel				
Drilling and Grouting				
Rubble or Stone Bedding				
Drilling & Grouting through masonry Dam/foundation of Dam				
Any other item				

FORM-BB

(See regulation 10-B)

Details of Quantum of Canal work :

Name of the Canal from K. M.. . . . . .to K. M.. . . . . .as per DPR/Technical Sanction.

1. Date of work order . . . .
2. Total Length of the Canal net work as shown in DPR/Estimate/Tender. . . . . .km and that actually constructed on site. . . . . .km.
3. Private land involved in canal construction, if any in . . . . . .Ha.
4. Forest land involved in canal construction, if any in . . . . . .Ha.
5. Any orders about stoppage of such work. Give details due to obstructions created by villagers/orders of authority/court. . . . .
6. Change in canal alignment carried out during construction from K.M. . . . . to K. M. . . . . from place . . . . .to . . . . .place.
7. Requirement of land for soil/rock dumping/construction material etc. in. . . . . .Ha.
8. Date of forest/Environmental clearance . . . .
9. Date of appointment of consultant agency, if any-work Order No. & date . . . .
10. Date-wise issue of approval to different structures, give details . . . .
11. Change in quarries, if any, give details . . . .
12. Delay in completion of work due to any other reason/time lost in completion, give details. . . . . . .
13. **Summary of items of works involved in canal to be constructed :**

Item of Work	Physical Quantity		Financial (in lakh)	
	As per DPR	As actually done	As per DPR	As finally Constructed
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Excavation				
Hard Rock				
Soft Rock				
Soil/Morum				
Embankment				
E/W, Soil/Morum				
Concrete				
PCC				
RCC				
Cement Lining				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Steel				
For RCC				
For Gates				
Tunnel				
Length of Tunnel				
Under ground excavation				
Lining of Tunnel				
Structures				
VRB				
DRB				
Aqueducts				
Syphon				
HR				
Outlets				
Any other item of work				

FORM-BC

(See regulation 10-B)

Details of Quantum of Bridge/Aqueduct work :

Name of the Bridge/Aqueduct work as per DPR/Technical sanction . . . .

1. Work order No. & date . . . .
2. Total Length of the Bridge/Aqueduct as shown in DPR/Technical sanction. . . . . .m and that actually constructed on site. . . . . .m.
3. Private land involved in Bridge/Aqueduct construction, if any in . . . . . . .Ha.
4. Forest land involved in this construction, if any in . . . . . . .Ha.
5. Any orders about stoppage of such work. Give details due to obstructions created by villagers/orders of competent authority/court. . . . .
6. Date of forest/Environmental clearance, if any. . . . .
7. Date of appointment of consultant agency, if any-Work Order No. & date . . . .
8. Date of approval of Foundation by GSI/C.E./S.E. and delay in days for approval, if any . . . .
9. Date of approval of drawings by competent authority and give delay in days for such approval, if any . . . .

10. Delay in work due to any other reason . . . .

11. Summary of items of works involved in Bridge/Aqueduct to be constructed :

Item of Work	Physical Quantity		Financial (in lakh)	
	As per DPR	As actually done	As per DPR	As finally Constructed
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Excavation				
Hard Rock				
Soft Rock				
Soil/Morum				
Embankment				
For Approaches				
Morum/Hardsoils				
Concrete				
PCC				
RCC				
Steel				
For RCC				
Others				
Length of Spans				
No. of spans				
Types of Fundation				
Length of Piling work				
No of Piles				
Bearings				
Any other items of work				

JUSTICE ABHAY M. NAIK,
Chairman,
Madhya Pradesh Arbitration Tribunal

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.